



सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई /

28 फरवरी 2025

**क्रेडिट गारंटी योजना – I & II**

**सीजीटीएमएसई की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं(एमएलआई)**

**परिपत्र सं.245/2024-25**

महोदया/ प्रिय महोदय,

**मिजोरम क्रेडिट गारंटी योजना**

सीजीटीएमएसई ने मिजोरम सरकार के सहयोग से मिजोरम राज्य में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना "मिजोरम क्रेडिट गारंटी योजना " शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवरेज का 75%-90% सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदान किया जाएगा जैसाकि उधारकर्ता की श्रेणी के आधार पर अब तक किया जा रहा है और शेष 20%-5% कवरेज मिजोरम सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा जिससे समग्र गारंटी कवरेज 95% हो जाएगा। योजना के अंतर्गत, संवर्धित गारंटी कवरेज क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 10% के एनपीए स्तर तक उपलब्ध होगा (पोर्टफोलियो को प्रत्येक वित्त वर्ष में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)। यदि एनपीए का स्तर क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 10% की उपर्युक्त सीमा से अधिक हो जाता है, तो उसके बाद, दावों का निपटान सीजीटीएमएसई की सामान्य क्रेडिट गारंटी योजना की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

यह योजना 01 मार्च, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत सभी क्रेडिट सुविधाओं के लिए प्रभावी होगी और 28 फरवरी, 2030 तक या सरकार द्वारा प्रतिबद्ध कॉर्पस फंड की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। सभी मौजूदा एमएलआई मिजोरम ऋण गारंटी योजना के तहत पात्र होंगे। 95% गारंटी कवरेज के अलावा, संबंधित क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अन्य सभी नियम और शर्तें मिजोरम ऋण गारंटी योजना के तहत आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी। इस पहल से मिजोरम राज्य में एमएसई की वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि मिजोरम ऋण गारंटी योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि योजना का उद्देश्य वास्तविक है।

इस पहल से मिजोरम राज्य में एमएसई की वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि मिजोरम ऋण गारंटी योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि योजना का उद्देश्य पूरा हो।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को मिजोरम राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक